

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

प्रभु बनाम रामेश्वर

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 252/2021

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10 12  
21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती प्रभु

पिता श्री बड़ी भील

निवासी- फुलरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

शुभ्रतिह कारखेडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

कुल कीता 10 कुल रकबा 2.5000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम शुभ्रतिह कारखेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

कुल कीता 10 रकबा 2.5000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500-00 रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(प्रभु सुन्दर विश्वादी)  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 257/2024 / 262

दिनांक 10/12/24

तहसीलदार

चित्तौड़गढ़ / बस्ती

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : प्रभु पिता बड़ी भील 110 फुलरिया तह. बस्ती

- कनाम — पार्सी
- 1- रामेश्वर 510 मोहन भील 110 फुलरिया
  - 2- चतुर्भुज 510 स्व. बड़ी भील 110 फुलरिया
  - 3- देवा 510 बालू भील 110 सुरतसिंह का खेडा
  - 4- हमीर मोहम्मद पिता शम्शुद्दीन मुसलमान 110 बस्ती
  - 5- देवा पिता काब्र भील 110 सुरतसिंह का खेडा
  - 6- अजवाललाल 510 अकाट भील 110 फुलरिया

— बिल्लीगाम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम <sup>सुरतसिंह का खेडा</sup> खतौनी सं. 4  
सम्बत् 2072-2075 में अकित आराजी नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  
33, 34, 35 कुल कित 10 रकबा 2.5000 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रूपये 1500.00 अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(श्याम सुन्दर बिस्तोई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)